मेसर्स इमामी सीमेंट लिमिटेड, प्लॉट नं0–1644, भेड़िया मोड़, कुल्हरिया, दुर्गावती, जिला–कैमूर द्वारा पोर्टलैंड पोज्जोलाना सीमेंट ग्राईडिंग इकाई में उत्पादन क्षमता 1 एम0टी0पी0ए0 से 2 एम0टी0पी0ए0 तक बढ़ाने के लिए प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना 2006 के तहत दिनांक 30.09.2020 बुधवार को 11:00 बजे पूर्वाह्न में प्रखण्ड कार्यालय दुर्गावती, जिला कैमूर(भभुआ) के सभागार में आयोजित लोक सुनवाई का बृत।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR No.-F.No.J-11011/287/2010-I.A.II (I), dated 19-06-2020 के आलोक में श्री कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त, कैमूर(भभुआ) (जिला पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) द्वारा मनोनीत) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक 30.09.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, दुर्गावती, जिला–कैमूर(भभुआ) के सभागार में लोक–सुनवाई आयोजित की गई। उपस्थित पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)।

उक्त लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, आज, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, के माध्यम से दिनांक 26.08. 2020 को प्रकाशित की गई थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय सेवाकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री आनन्द कुमार दूबे द्वारा इकाई के उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबलीटी आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से पावर प्वाईंट प्रस्तुती के माध्यम से अवतगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित परियोजना इमामी सीमेंट लिमिटेड के प्रमोटर/निर्देशक वर्त्तमान मे कुल्हरिया गाँव, कैमूर(भभुआ) जिले में 1 एम0टी0पी0ए0 संयंत्र का संचालन कर रहें है। यह परियोजना पहले मेसर्स इको सीमेंट लिमिटेड द्वारा संचालित की गई थी। जिनके द्वारा पहले ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से दिनांक 31 अक्टुबर 2011 को पत्रांक संख्या F.No.-J-1101/287/2010-IA-II (I) द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली थी। मेसर्स इमामी सीमेंट लिमिटेड ने इस परियोजना को सम्भाला है और पहले की पर्यावरणीय मंजूरी, जैसा की मसेर्स इको सीमेंट लिमिटेड को दिया गया है, मेसर्स इमामी सीमेंट लिमिटेड का पत्रांक संख्या J-11011/287/2010-IA-II (I) दिनांक 04.11.2019 को हस्तांतरित कर दिया गया है।

मेसर्स इमामी सीमेंट लिमिटेड की पोर्टलैंड पॉज्जोलाना सीमेंट ग्राईंडिंग इकाई में 1 MTPA से 2 MTPA तक उत्पादन में वृद्धि कुल्हारिया गाँव, दुर्गावती तहसील, कैमूर(भभुआ), बिहार में मेसर्स इमामी सीमेंट लिमिटेड द्वारा विकसित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित परियोजना के लिए कच्चे माल के रूप में क्लींकर, स्लैग, फ्लाईएश, जिप्सम की आवश्यकता होगी। परियोजना का क्षेत्रफल 19.45 एकड़ है। विस्थापन की कोई समस्या नहीं है। परियोजना की लागत 98 करोड़ है।

मे0 इमामी सीमेंट लि0 के द्वारा 01 MTPA क्षमता का सीमेंट ग्राईडिंग की विस्तार की परियोजना है। प्रस्तावित परियोजना के लिए कच्चे माल के रूप में क्लींकर, फ्लाई ऐश, जिप्सम की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित परियोजना में उत्पादन के समय लगभग 131 अतिरिक्त कामगारों की आवश्यकता होगी तथा योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रस्तावित परियोजना के लिए 6.5 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता है जिसमें भू–गर्भ तथा वर्षा जल का उपयोग किया जायेगा। इस इकाई में पूरी तरह से सूखी प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

प्रस्तावित परियोजना में एक 180 TPH Ball Mill एवं 240 TPH रोटोरी पैकर तथा 04 नम्बर 120 TPH ट्रक लोडर स्थापित किया जायेगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीमेंट मिल में बैग फिल्टर, अनलोडिंग क्षेत्र में बैग फिल्टर, कच्चे माल क्षेत्र में बैग फिल्टर और पैकिंग क्षेत्र में बैग फिल्टर (कुल दस मुख्य बैग फिल्टर) स्थापित किये जायेंगे। सीमेंट साईलोटॉप, सेपरेटर, मिल हाउपर, फ्लाई ऐश बिन, फ्लाई ऐश साइलो आदि में प्रक्रिया और फ्यूजिटीव उत्सर्जन के लिए छोटे बैग फिल्टर स्थापित किये जायेंगे। फ्लाई ऐश एवं सीमेंट को साइलो में संग्रहित किया जायेगा एवं स्थानांतरण हेतु बंद वायुवीय प्रणाली का उपयोग किया जायेगा। पी.यू.सी. रजिस्टर्ड वाहनों का उपयोग किया जायेगा। सभी श्रमिकों को पी पी ई प्रदान किया जायेगा। सीमेंट प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण में एकत्रित धूल को वापस प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जायेगा। किसी भी ठोस–अपशिष्ट का निपटान की आवश्यकता नहीं होगी। इकाई द्वारा खतरनाक अपशिष्ट जैसे कि उपयोग/खर्च किये गये तेल को Authorized Vendor को दिया जायेगा एवं Hazardous and other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 की प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

लोक–सुनवाई के अध्यक्ष द्वारा आम जनता को बताया गया कि आप यहाँ के स्थानीय है। इस इकाई के लगने से क्या–क्या प्रदूषण की सम्भावना है। उसके निपटान के लिए प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आपको विस्तार से बताई गयी है। इसके अलावे पर्यावरण पर और क्या असर पड़ने की सम्भावना है। या कोई शंका है तो उसे निर्भिकतापूर्वक रखेंगे। आपका सुझाव/मंतव्य/शिकायत को इस लोक सुनवाई के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को भेजा जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैः–

1. श्री जवाहर प्रसाद, पिता– श्री मोती बिन्द, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम–खरखोली, प्रखण्ड–दुर्गावती द्वारा प्रस्ताव का स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि इकाई लगने से हमलोग को रोजगार मिलेगा।

2. श्री भगवती प्रसाद तिवारी, पिता–श्री शेखर प्रसाद तिवारी, ग्राम–कुल्हरिया, प्रखण्ड–दुर्गावती द्वारा सुझाव दिया गया कि हमे रोजगार मिलनी चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं है।

प्लांट हेड ने आश्वस्त किया कि स्थानीय लोग को ही रोजगार दिया जायेगा।

3. श्री नागेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, पिता–विजय शंकर पाण्डेय, ग्राम–जर्नादनपुर, प्रखण्ड दुर्गावती, जिला–कैमूर द्वारा बताया गया कि क्षमता विस्तार से कोई दिक्कत नहीं है। प्रवासी मजूदर एवं स्थानीय मजदूर हमलोग को ही ज्यादा क्षति होती है। तो हमलोग की रोजगार मिलनी चाहिए।

4. श्री तुलसी राम, पिता–स्व0 भरत राम, ग्राम–हाटा, प्रखण्ड–चैनपुर, जिला–कैमूर द्वारा परियोजना विस्तार का स्वागत किया गया।

5. श्री बाल्मीकी पाण्डेय, पिता–ए0के0पाण्डेय, ग्राम–दुर्गावती, प्रखण्ड–दुर्गावती, जिला–कैमूर द्वारा बताया गया कि क्षमता विस्तार के दौरान मशीनें अच्छी/उच्च तकनीकी की लगनी चाहिए ताकि प्रदूषण की मात्रा कम हो सके।

6. श्री जनार्दन पासवान, ग्राम–छाता, प्रखण्ड–दुर्गावती, जिला–कैमूर द्वारा बताया गया कि क्षमता विस्तार अच्छी बात है। गरीब आदमी को रोजगार मिलना चाहिए।

7. श्री गोविन्द यादव, पिता–अमर सिंह यादव, ग्राम–धनेछा, प्रखण्ड–दुर्गावती, जिला–कैमूर द्वारा बताया गया कि हमलोग को रोजी–रोजगार मिलना चाहिए। क्षमता विस्तार से कोई दिक्कत नहीं है।

8. श्री लल्लन साह, ग्राम–धनेछा, प्रखण्ड–दुर्गावती, जिला–कैमूर द्वारा बताया गया कि प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है। हमलोग रोजगार के लिए मुम्बई, कलकत्ता जाते है। इससे अच्छा होगा कि हमलोग को स्थानीय स्तर पर रोज़गार मिलेगा।

9. श्री बच्चन राम, ग्राम–धनेछा, प्रखण्ड–दुर्गावती, जिला–कैमूर द्वारा बताया गया कि इकाई के संचालन से धूल–कण निकलता है तो उसके रोकथाम हेतु क्या उपाय किये जायेगें।

प्लांट हेड द्वारा बताया गया कि जो भी धूल–कण निकलता है, उसके रोकथाम हेतु डस्ट क्लक्टर सिस्टम, बैग फिल्टर नये तकनीक का लगाये जायेगें। जिसे वायु प्रदूषण नगण्य हो। साथ ही साथ कच्चा सड़क को कंक्रीट किया जायेगा एवं जल का छिड़काव किया जायेगा।

10. श्री देवेन्द्र यादव, पिता–गणेश यादव, ग्राम–महमुदगंज, प्रखण्ड–दुर्गावती द्वारा पुछा गया कि कितना पेड़–पौधा लगाया जायेगा।

प्लांट हेड द्वारा बताया गया कि इकाई के पुरे क्षेत्र का 33 प्रतिशत में पेड़–पौधा लगाने का प्रावधान है। लेकिन हमलोग 35 प्रतिशत क्षेत्र में पेड़–पौधा लगायेगें।

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर द्वारा सुझाव दिया गया कि छायाकार वृक्ष लगाये जाय ताकि प्रदूषण का स्तर कम हो।

11. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुर्गावती, जिला–कैमूर द्वारा पुछा गया कि इकाई में जो श्रमिक काम करते है उनके बच्चों का कौशल विकास/विद्यालय का क्या व्यवस्था है। इसके लिए क्या करेंगे। खेल के मैदान की व्यवस्था की गई है या नहीं। पौधा लगाने के साथ–साथ पार्क भी बनाना चाहिए। मिट्टी प्रदूषण के लिए क्या–क्या करेंगे। इकाई के संचालन से कृषि प्रभावित होता है। क्यों कि स्थानीय भूमि कृषि प्रधान है। इनके दूषित होने से उपज कम होती है। फैक्ट्री एरिया के आस–पास बिजली उपलब्ध कराई जाती है या नहीं। पेय जल की क्या व्यवस्था है। आस–पास के लोगों के लिए बाजार/दुकान उपलब्ध कराया गया है की नहीं।

पार्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि कुल प्रोजेक्ट लागत का 01 प्रतिशत सी0ई0आर0 (कॉरपोरेट पार्यावरणीय दायित्व) के अन्तर्गत खर्च किया जायेगा। इसमें आस–पास के गाँव के प्रधान/स्थानीय लोग/प्रशासन/परियोजना प्रस्तावक की एक टीम बनाई जायेगी। जिसके नेतृत्व में गाँव के आवश्यकता को देखते हुए जलापूर्ति, वृक्षा–रोपण, पार्क निर्माण, कौशल विकास आदि का कार्य उनके इच्छानुसार कराया जायेगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु बैग फिल्टर इत्यादि लगाकर धूल–कण को नगणय किया जायेगा। वायु प्रदूषण की समस्या नहीं होगी। जिसके कारण मिट्टी प्रदूषण होने की सम्भावना नगणय है।

प्लांट हेड द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस टीम को पूर्ण सहयोग करेंगे। जिला पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के अगुवाई में अस्पताल/स्कूल इत्यादि में सहयोग करेंगे। सिलाई मशीन देंगे। अगर गाँव से खेल के मैदान का प्रस्ताव आता है तो उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। मिट्टी प्रदूषण के रोकथाम हेतु उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके इकाई परिसर से कोई भी बहिस्राव परिसर के बाहर नहीं जायेगा। शून्य बहिस्राव सुनिश्चित किया जायेगा। घरेलु उपयोग से निकलने वाले बहिस्राव का उपयोग वे वृक्षा रोपण एवं जल छिड़काव में करेंगे। गाँव में जलापूर्ति के साथ–साथ वाटर कुलर एवं आर0ओ0 सिस्टम लगाया जायेगा। बिजली हम खुद ही क्रय करते है एवं बिजली का उत्पादन मेरे द्वारा नहीं किया जाता है। इस कारण हम बिजली आपूर्ति करने में असमर्थ है।

12. क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा सुझाव दिया गया कि लम्बे एवं मोटे पत्ते वाले वृक्ष लगाये जाये। जो धूल–कण को अवशोषित कर सके। वाहन परिचालन क्षेत्र/लोडिंग क्षेत्र/अनलोडिंग क्षेत्र/एप्रोच सड़क को कंक्रीट/पेभ्ड किया जाये। ताकि प्रदूषण स्तर कम हो सके। सड़क पर धूल–कण को रोकने के लिए स्वीपींग मशीन की व्यवस्था हो। इकाई परिसर/गेट/एप्रोच सड़क पर फिक्सड स्प्रींकलर एवं मिस्टस्प्रे कि व्यवस्था हो। ताकि वायु प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके।

प्लांट हेड द्वारा आश्वस्त किया गया कि दिये गये सुझाव का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। एप्रोच रोड सरकारी सम्पत्ति है। अगर स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त होगी तो उसे कंक्रीट/पक्का कराया जायेगा।

13. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर द्वारा बताया गया कि प्लांट के विस्तार में नये तकनीक का मशीन लगाया जाये। ताकि कम से कम प्रदूषण हो। गर्मी के दिनों में जल छिड़काव ज्यादा से ज्यादा हो। कंक्रीट के बदले में पेभर ब्लॉक का उपयोग सड़क निर्माण कराया जाय। हरित पट्टी में चौड़ी, फलदार, घने वृक्ष लगाने का प्रावधान हो। रोजगार भी स्थानीय मजदूर को एवं प्रवासी मजदूर को दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि आपलोग की बात का ध्यान रखा जायेगा। फैक्ट्री लगने से स्थानीय जनता को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि प्रदूषण नहीं हो। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक–सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इकाई के स्थापना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक–सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दुर्गावती।	क्षेत्रीय पदाधिकारी बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, पटना।	उप विकास आयुक्त कैमूर(भभुआ)।

उपस्थिति सूची

मे० इमामी सीमेंट लि० प्लॉट नं०-1641, भेड़िया मोड़ कुलहरिया, दुर्गावती, जिला-कैमूर द्वारा **Pozzolana Cement Grinding Unit** का प्रस्तावित विस्तार परियोजना को वर्तमान क्षमता **1 MTPA** से बढ़ाकर **2 MTPA** करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक **30.09.2020** (बुधवार) को **11:00** बजे पूर्वाह्न में प्रखण्ड कार्यालय दुर्गावती, जिला-कैमूर में आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Kumar Gaurav	DDC Kaimur	[signature] 30.09.2020
2.	आशीष कुमार गुप्ता, संयुक्त पदाधिकारी	बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	आशु 30-9-20
3.	ASHOK KUMAR (प्रतिनिधि DDC, Bhabhua) B.D.O Durgawati	B.D.O Durgawati, Kaimur	A 30/9/20
4.	कमलेश प्र० सिंह	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र भभुआ कैमूर	[signature] 30/9/2020
5.	Upendra Nath Tiwari	IEO, DIC Kaimur.	[signature] 30/9/2020
6.	Shashi Kant Mishra	खखरांव	[signature] 30/09/20
7.	Balmiki Pandey	Durgawati	[signature] 30/09/20
8.	Niranjan Prashad Gond	Khanaw	[signature] 30.9.20
9.	Chandan Pandey	Ledani	[signature] 30/09/2020
10.	Dilip Kumar Pandey	Ishipur	[signature] 30.09.020
11.	[illegible]	[illegible]	[signature]
12.	रमेशलाल	[illegible]	रमेश लाल
13.	देवेन्द्र यादव	महेन्द्र गंज	देवेन्द्र यादव
14.	Amit Kumar	मनपुर	Amit
15.	Ramesh Yadav	Bhanpur	Ramesh
16.	चन्दन यादव	भानपुर	चन्दन
17.	अरुण यादव	भानपुर	अरुण
18.	अंकित	[illegible]	अंकित

19.	Rajendra yadav	Dhanchha	Rajendra
20.	Rakesh Yadav	Parasiya	Rakesh
21.	S.R. Ram Pandy	जानार्दन पुर	S.R.R.
22.	शत्रुघ्न शर्मा	धाता	शत्रुघ्नशर्मा
23.	मुकेश राय	धाता	मुकेशराय
24.	इसपोटर राय	मसापुर	इसपोटर
25.	सुदर्शन पासवान	महमूद गंज	सुदर्शन
26.	शिवबचनराम	महमूदगंज	शिवबचनराम
27.	विनोदप्रसाद	खरखोली	विनोदप्रसाद
28.	ओमप्रकाश यादव	परासियाँ	ओमप्रकाश
29.	तुलसी राम	धाता	तुलसीराम
30.	बजरंगी	धनेध	बजरंगी
31.	जोगीन्द्र शर्मा	धाता	जोगीन्द्रशर्मा
32.	शिवन पासवान	धनेढ़ा	शिवन पासवान
33.	उपेन्द्र कुमार	महमूदगंज	उपेन्द्र कुमार
34.	दयाशंकर बिन्द	ग्राम किसोरपुरा	दयाशंकरबिन्द
35.	शिवनाथ कुशवाहा	राजगढ़	
36.	पिन्टू गुप्ता	कर्मनाशा	पिन्टू गुप्ता
37.	विनोद कुमार गुप्ता	कर्मनाशा	विनोद कुमार
38.	ललन सिंह	धनेधा डीह	ललन सिंह
39.	जयप्रकाश कुमार	धनेधा डीह	जयप्रकाश कुमार
40.	गोविन्द यादव	धनेछा	गोविन्दयादव
41.	राम जुनना राय	धनेधा डीह	राम जुन्नाराय
42.	जनार्दन पासवान	धनेधा डीह	जनार्दन

43.	रामप्यारे सेठ	चैनेद्या	रामप्यारे सेठ
44.	सुनदीप ठाकुर	चैनेद्या	सुनदीप ठाकुर
45.	सुशील कुमार पाण्डेय	जगदीशपुर	सुशील कुमार पाण्डेय
46.	Ritesh Kr. Yadav	SAWATH.	[illegible]
47.	रविन्द्र कुमार पाण्डेय	जनार्दनपुर	Raindra Kumar P[illegible]
48.	CHANDAN KUMAR	BHABUA	Chandan Kr
49.	विकास कुमार पाण्डेय	जनार्दनपुर	विकास कुमार पाण्डेय
50.	Bhagawati Prasad Tiwari	Jamorani	Bhagawati P. D. Tiwari
51.	Ashwini Kumar	[illegible]	[illegible]
52.	Babu Singh	Karmnasha	Babu Chandra Singh
53.	Jawahar Prasad	Kharkhali	Jawa[illegible]
54.	O. P. Giri	Bheriya	[illegible]
55.	Ram Singh	Karmnasha	[illegible]
56.	S. Shrivastava	Bheriya	[illegible]
57.	S. Sharma	Bheriya	[illegible]
58.	DEEPAK TIWARI	Bheriya	[illegible]
59.	D. K Dube	Bheriya	[illegible]
60.	Amit Kumar	Bheriya	[illegible]
61.	Manas Dubey	Bheriya	Mk Dubey
62.	Anand Kumar	Consultant Environment	Anand
63.			
64.			
65.			
66.			